न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,झुझुनू

पीठासीन अधिकारी— एम0 आर0 बागड़िया
आर0ए0एस0

अपील संख्या—12/2016

1. अमर सिंह पुत्र स्व. चैनाराम, जाति जाट, निवासी सिरियासर खुर्द ,तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनूं राजस्थान।
2. बीरबल सिंह पुत्र स्व. चैनाराम जाति जाट, निवासी सिरियासर खुर्द ,तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनूं राजस्थान।
3. जयसिंह पुत्र स्व. जुहाराम, जाति जाट, निवासी सिरियासर खुर्द ,तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनूं राजस्थान।
4. नोरंग पुत्र स्व. गणपतराम जाति जाट, निवासी सिरियासर खुर्द ,तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनूं राजस्थान।
5. रामप्रताप पुत्र स्व. गणपतराम, जाति जाट, निवासी सिरियासर खुर्द ,तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनूं राजस्थान।
6. फूलाराम पुत्र स्व. रेखाराम जाति जाट, निवासी सिरियासर खुर्द ,तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनूं राजस्थान।

—अपीलान्ट

—बनाम—

1. प्यारेलाल पुत्र स्व. रामचन्द्र तथाकथित दत्तक पुत्र लादु जाति जाट, निवासी सिरियासर खुर्द ,तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनूं राजस्थान।
2. रधुवीर दत्तक पुत्र स्व. गोपालराम जाति जाट, निवासी सिरियासर खुर्द ,तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनूं राजस्थान।
3. भींवाराम पुत्र स्व. रामचन्द्र जाति जाट, निवासी सिरियासर खुर्द ,तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनूं राजस्थान।
4. महावीर पुत्र स्व. रामचन्द्र जाति जाट, निवासी सिरियासर खुर्द ,तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनूं राजस्थान।
5. सुभाष पुत्र स्व. रामचन्द्र जाति जाट, निवासी सिरियासर खुर्द ,तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनूं राजस्थान।
6. ज्यानादेवी पुत्री स्व. रामचन्द्र जाति जाट, निवासी सिरियासर खुर्द ,हाल—दुलपुरा पोस्ट भूदा का बास तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनूं राजस्थान।
7. पतासी देवी पुत्री स्व. रामचन्द्र जाति जाट, निवासी सिरियासर खुर्द ,तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनूं राजस्थान।
8. राजस्थान राज्य जरिये नायब तहसीलदार मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
9. राजस्थान ग्रामीण बैक जरिये शाखा प्रबंधक चुड़ेला तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनू

–रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण आदेश तहसीलदार झुंझुनू
नामांतरकरण संख्या–62 दिनांक 05.06.1981
वाके सरहद सिरियासर खुर्द

उपस्थितः–

1. श्री अशोक मांजू , एडवोकेट———————— अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री संदीप काजला, एडवोकेट———————— रेस्पोडेंट नंबर 1 से 3 की ओर से।
3. श्री श्रवण कुमार सैनी ,एडवोकेट———————— रेस्पोडेन्ट की ओर से।

— निणर्य— दिनांक–06.07.2018

उक्त उनवानी अपील विरूद्ध विरूद्ध नामान्तरकरण आदेश तहसीलदार झुंझुनू नामांतरकरण संख्या–62 दिनांक 05.06.1981 वाके सरहद सिरियासर खुर्द के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि – ग्राम सिरिसासर खुर्द में भोमाराम नाम का एक व्यक्ति हुआ । उक्त भोमाराम की टीनेन्सी की जमीन हाल खसरा नंबर 14 रकबा 0.33, खसरा नंबर 15 रकबा 0.14, खसरा नंबर 22 रकबा 0.09, खसरा नंबर 23 रकबा 0.02, खसरा नंबर 24 रकबा 2.70 हैक्टर, खसरा नंबर 25 रकबा 1.24, खसरा नंबर 42 रकबा 3.37, खसरा नंबर 43 रकबा 1.17 हैक्टर, खसरा नंबर 44 रकबा 1.52 खसरा नंबर 45 रकबा 2.59, खसरा नंबर 100 रकबा 1.02, खसरा नंबर 101 रकबा 0.56, खसरा नंबर 102, रकबा 1.09, खसरा नंबर 110 रकबा 0.69, खसरा नंबर 111 रकबा 0.70, खसरा नंबर 161 रकबा 2.55, खसरा नंबर 162 रकबा 0.56, खसरा नंबर 163 रकबा 0.02, खसरा नंबर 164 रकबा 4.15, खसरा नंबर 167 रकबा 0.56, खसरा नंबर 168 रकबा .30, खसरा नंबर 169 रकबा 1.26, खसरा नंबर 116 रकबा 1.10 खसरा नंबर 117 रकबा .58, खसरा नंबर 118 रकबा .07, खसरा नंबर 118 रकबा .07, खसरा नंबर 119 रकबा .58, खसरा नंबर 170, 2.72, खसरा नंबर 171 रकबा 1.38 कुल किता 28 रकबा 33.06 हैक्टर जमीन ग्राम सिरियासर खुर्द की सरहद में स्थित है। उक्त भोमाराम का देहान्त हो चुका है। भोमारामकी वंशावली अंकित कर निवेदन किया गया कि –भोमाराम व उसकी पत्नी का भी देहान्त हो चुका है। भोमाराम के पुत्रगण का भी देहान्त हो चुका है। चैनाराम के पुत्रगण अपीलांट नंबर 1 व 2 हैं, जुहाराराम का पुत्र जयसिंह अपीलांट नंबर 3है। गोपाल का देहान्त हो चुका है जिसके कोई सन्तान नहीं थी। गोपालराम की पत्नी का भी देहान्त हो चुका है , जिसके कोई संतान नहीं थी। गणपतराम का देहान्त हो चुका है। गणपतराम के वारिसान में उसके दो पुत्र अपीलांट नंबर 4 व 5 हैं। रेखाराम व उसकी पत्नी का भी देहान्त हो चुका है जिसके वारिसान में उसका पुत्र अपीलांट नंबर 7 है। लादुराम अविवाहित फौत हो चुका है, जिसके कोई वारिस नहीं है। रामचन्द्र का देहान्त हो चुका है, जिसके वारिसान में अपीलांट नंबर 8 लगायत 12 व रेस्पोडेंट नंबर 1 है। भोमाराम के देहान्त के प्श्चात उक्त जमीन का भोमाराम के विधिक वारिसान के नाम विरासतन उत्तराधिकार नामान्तरकरण खुला तथा काबिज काश्त हुये। स्व0 गोपाल ने अपने जीवनकाल में अपने भाई रामचन्द्र के पुत्र रघुवीर को गोद ले लिया तथा गोपालराम की मृत्यु के

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनू

पश्चात उसकी जमीन का नामान्तरकरण रघुवीर के नाम दर्ज हुआ तथा काबिज काश्त हुआ। चैनाराम, जुहाराराम, गोपालराम, गणपतराम, रेखाराम, रामचन्द्र के देहान्त के पश्चात उक्त जमीन का नामान्तरकरण उसके वारिसान अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट नंबर 1 के नाम तस्दीक हुआ व उसी अनुसाार अपने हिस्से के अनुसार टीनेन्ट हुये तथा उसी अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे हैं।

अपीलांट का आगे कथन है कि – लादूराम की शादी नहीं हुई वह अविवाहित फौत हो गया तथा लादुराम ने अपने जीवनकाल में किसी को गोद नहीं लिया, परन्तु राजस्व अधिकारियों ने गलत रूप से रामचनद्र के पुत्र प्यारेलाल रेस्पोडेन्ट नंबर 1 को लादुराम का पुत्र बताकर दिनांक 05.06.1981 को उसके नाम नामान्तरकरण तस्दीक किया, जब कि रेस्पोडेन्ट नंबर–1 को ना तो लादुराम का पुत्र है ना ही गोद लिया । रेस्पोडेंट नंबर 1 का समस्त रिकार्ड उसके पिता रामचन्द्र का बना हुआ है तथा रेस्पोडेंट नंबर 1 के नाम अपने पिता स्व0 रामचन्द्र के देहान्त के पश्चात जमीन का नामान्तरकरण तस्दीक हुआ तथा अपने हिस्से की जमीन पर काबिज है। स्व0 लादूराम की जमीन पर रेस्पोडेंट नंबर 1 का कब्जा काश्तक कभी नहीं रहा है। अपीलांटस ने दिनांक 02.02.2016 को समस्त राजस्व रिकार्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रापत की तब उक्त गलत नामान्तरकरण व राजस्व रिकार्ड की जानकारी हुई। रेस्पोडेन्ट नंबर 1 के हक में उक्त नामान्तरकरण गलत रूप से तस्दीक हुआ है। जब कि उक्त भूमि का नामान्तरकरण भोमाराम के समस्त वारिसान के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज होना चाहिए था। तहसीलदार मलसीसर ने उक्त विवादित नामांतरण तस्दीक करने से पूर्व मृतक लादुराम के वारिसान की न तो कोई जांच की ना ही वारिसान की सूची संबंधित वार्ड पंच से ली तथा ना ही ऐसा कोई सबूत लिया कि किस प्रकार लादुराम का रेस्पोडेन्ट नंबर 1 उत्तराधिकारी है। जब कि पटवारी हल्का व गिरदावर हल्का द्वारा नामान्तरकरण भर कर पेश करने से पूर्व मृतक के वारिसान की न तो जांच की और ना ही जांच बाबत कोई नोट लगाया। पटवारी हल्का ने कालम सं0 16 में खातेदार लादु फौत होने पर उसके लड़के का नाम दर्ज करने का अंकन किया है, उसके पश्चात इंतकाल खाना नंबर 11 के अनुसार स्वीकार है दर्ज किया गया। खाना नंबर 11 में रेस्पोडेन्ट नंबर 1 प्यारेलाल को लादु का पुत्र बताया गया है, जबकि रेस्पोडेन्ट नंबर 1 प्यारेलाल रामचन्द्र का पुत्र है। पटवारी हल्का ने भी मृतक लादु के वारिसान के नाम नामान्तरकरण भरकर पेश करने का हवाला नहीं दिया है। इस प्रकार उक्त विवादित नामान्तरकरण तस्दीक करने में कानूनी भूल की है। विवादित नामान्तरकरण तस्दीकर करने से पूर्व पटवारी हल्का, गिरदाव हल्का द्वारा अपीलाटस को कोई नोटिस नहीं दिया गया ना ही सार्वजनिक रूप से नोटिस चस्पा किया गया। बिना नोटिस व बिना सुनवाई का अवसर दिये ही तहसीलदार द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरित जाकर अपीलाधीन आदेश देने में कानूनी भूल की है। रेस्पोडेन्ट नंबर 1 स्व0 रामचन्द्र का पुत्र है, स्व लादु का पुत्र नहीं है, ना ही रेस्पोडेंट नंबर 1 लादु ने गोद लिया। इस तथ्य पर भी कोई गोर न कर तथा न कोई जांच किये ही आलोच्य नामान्तरकरण आदेश देने में कानूनी भूल की है। तहसीलदार झुंझुनू के नामान्तरकरण आदेश की अपीलांट को पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी। रेस्पोडेंट नंबर 1 द्वारा अपीलांट को गलत नामान्तरकरण के आधार पर उसके हिस्से सेज्यादा भूमि को विक्रय करने की धमकी देने पर अपीलान्टस ने राजस्व रिकार्ड की चाराजोही की तथा नकल आदि प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की है, जो जानकारी के रोज से अन्दर मियाद है। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार झुंझुनू का आदेश दिनांक 05.06.1981 नामांतरकरण संख्या 62 को निरस्त किये जाने का आदेश दिया जावे।

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनू

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि – लादूराम की शादी नहीं हुई वह अविवाहित फौत हो गया तथा लादुराम ने अपने जीवनकाल में किसी को गोद नहीं लिया, परन्तु राजस्व अधिकारियों ने गलत रूप से रामचनद्र के पुत्र प्यारेलाल रेस्पोडेन्ट नंबर 1 को लादुराम का पुत्र बताकर दिनांक 05.06.1981 को उसके नाम नामान्तरकरण तस्दीक किया, जब कि रेस्पोडेन्ट नंबर–1 को ना तो लादुराम का पुत्र है ना ही गोद लिया । रेस्पोडेंट नंबर 1 का समस्त रिकार्ड उसके पिता रामचन्द्र का बना हुआ है तथा रेस्पोडेंट नंबर 1 के नाम अपने पिता स्व0 रामचन्द्र के देहान्त के पश्चात जमीन का नामान्तरकरण तस्दीक हुआ तथा अपने हिस्से की जमीन पर काबिज है। स्व0 लादूराम की जमीन पर रेस्पोडेंट नंबर 1 का कब्जा काश्तक कभी नहीं रहा है। अपीलांटस ने दिनांक 02.02.2016 को समस्त राजस्व रिकार्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की तब उक्त गलत नामान्तरकरण व राजस्व रिकार्ड की जानकारी हुई। रेस्पोडेन्ट नंबर 1 के हक में उक्त नामान्तरकरण गलत रूप से तस्दीक हुआ है। जब कि उक्त भूमि का नामान्तरकरण भोमाराम के समस्त वारिसान के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज होना चाहिए था। तहसीलदार मलसीसर ने उक्त विवादित नामांतरण तस्दीक करने से पूर्व मृतक लादुराम के वारिसान की न तो कोई जांच की ना ही वारिसान की सूची संबंधित वार्ड पंच से ली तथा ना ही ऐसा कोई सबूत लिया कि किस प्रकार लादुराम का रेस्पोडेन्ट नंबर 1 उत्तराधिकारी है। जब कि पटवारी हल्का व गिरदावर हल्का द्वारा नामान्तरकरण भर कर पेश करने से पूर्व मृतक के वारिसान की न तो जांच की और ना ही जांच बाबत कोई नोट लगाया। पटवारी हल्का ने कालम सं0 16 में खातेदार लादु फौत होने पर उसके लड़के का नाम दर्ज करने का अंकन किया है, उसके पश्चात इंतकाल खाना नंबर 11 के अनुसार स्वीकार है दर्ज किया गया। खाना नंबर 11 में रेस्पोडेन्ट नंबर 1 प्यारेलाल को लादु का पुत्र बताया गया है, जबकि रेस्पोडेन्ट नंबर 1 प्यारेलाल रामचन्द्र का पुत्र है। पटवारी हल्का ने भी मृतक लादु के वारिसान के नाम नामान्तरकरण भरकर पेश करने का हवाला नहीं दिया है। इस प्रकार उक्त विवादित नामान्तरकरण तस्दीक करने में कानूनी भूल की है। विवादित नामान्तरकरण तस्दीकर करने से पूर्व पटवारी हल्का, गिरदाव हल्का द्वारा अपीलाटस को कोई नोटिस नहीं दिया गया ना ही सार्वजनिक रूप से नोटिस चस्पा किया गया। बिना नोटिस व बिना सुनवाई का अवसर दिये ही तहसीलदार द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरित जाकर अपीलाधीन आदेश देने में कानूनी भूल की है। रेस्पोडेन्ट नंबर 1 स्व0 रामचन्द्र का पुत्र है, स्व लादु का पुत्र नहीं है, ना ही रेस्पोडेंट नंबर 1 लादु ने गोद लिया। इस तथ्य पर भी कोई गोर न कर तथा न कोई जांच किये ही आलोच्य नामान्तरकरण आदेश देने में कानूनी भूल की है। तहसीलदार झुंझुनू के नामान्तरकरण आदेश की अपीलांट को पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी। रेस्पोडेंट नंबर 1 द्वारा अपीलांट को गलत नामान्तरकरण के आधार पर उसके हिस्से सेज्यादा भूमि को विकय करने की धमकी देने पर अपीलान्टस ने राजस्व रिकार्ड की चाराजोही की तथा नकल आदि प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की है, जो जानकारी के रोज से अन्दर मियाद है। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार झुंझुनू का आदेश दिनांक 05.06.1981 नामांतरकरण संख्या 62 को निरस्त किये जाने का आदेश दिया जावे।

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनू

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट नंबर 1 से 4 ने निवेदन किया कि –रेस्पोडेंट नंबर 1 प्यारेलाल को करीब 8 साल की उम्र में ही उक्त लादुराम ने हिन्दू रीति–रिवाज के जाईन्दा पिता रामचन्द्र व जाईन्दा माता श्रीमती कानीदेवी से गोद लिया था। गोद के समय रेस्पोडेंट नंबर1 के जाईन्दा माता–पिता ने उक्त चैनाराम, जवाहराराम, गोपालराम, गणपतराम आदि परिवार के मौजिज व्यक्तियों की उपस्थिति में व रिश्तेदारों की मौजूदगी में रेस्पोडेन्ट नंबर 1 को हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार लादूराम की गोद में बिठाया व लादूराम ने रेस्पोडेंट नंबर 1 को अपनी गोद में बिठाकर अपना गोद का पुत्र होना स्वीकार किया। गोद के समय पूजा की गयी, गुड़ बांटा गया। महिलाओं ने गीत गाये व इस खुशी के अवसर पर भोज किया गया। उक्त लादूराम अविवाहित था जिसकी मृत्यु 1977 में हुई । लादूराम ने रेस्पोडेंट का पालन पोषण किया व शादी की थी । लादूराम के देहान्तहो जाने के बाद उत्तराधिकार में नामान्तरकरण रेस्पोडेंन्ट नंबर 1 के नाम दर्ज किया गया। अपीलांटस को विवादित नामान्तरकण की जानकारी पहले से थी व अपील करीब35 साल बाद में बिना उचित कारण के मियाद बाहर पेश की गई है जो खारिज होने योग्य है। नामांतरण संख्या 62 दिनांक 05.06.1981 का अमल दरामद जमाबंदी सम्वत 2039 से 2048 व खतौनी सम्वत 2058 से 2078 व जमाबंदी सम्वत 2060 से 2073 तक में लगातार चला आ रहा है। अपीलांट ने 35 साल के राजस्व रिकार्ड को चुनौति नहीं दी व नामान्तरकरण की कार्यवाही संक्षिप्त होती है । अपीलांटस नंबर 5 रामप्रताप ने रहन के आधार पर विवादित जमीन पर ऋण लिया । इस कारण रेस्पोडेंट नंबर 1 के हक में राजस्व रिकार्ड व नामान्तरकण की जानकारी अपीलांटस को पहले से थी, जानबूझ कर अपील अंदर मियाद पेश नहीं की गई। मूल निवास प्रमाण पत्र दिनांक 22.10.1994, राशनकार्डों, आधारकार्ड आदि दस्तावेजात में रेस्पोडेंट नंबर 1 प्यारेलाल के पिता का नाम लादूराम दर्ज है व लादुराम के दत्तक पुत्र की हैसियत से रेस्पोडेंन्ट नंबर 1 प्यारेलाल रहा है। उक्त विवादित जमीन अपने हिस्से के अलग अलग बांटकर काश्त करते थे। लादूराम का देहान्त हो जाने से करीब 39 साल से जमीन काश्त कर रहा है व काबिज है। रेस्पोडेंट नंबर 1 के कब्जे काश्त व बंटवारे को इतने लंबे समय तक अपीलांटस ने चुनौति नहीं दी। उक्त चैनाराम, जवाहरा, गणपत के जीवनकाल में ही नामान्तरकरण संख्या 62 रेस्पोडेंट नंबर 1 के हक में नियमानुसार जांच कर दर्ज किया गया, और चैनाराम,जवाहराराम, गणपत ने जानकारी होते हुये भी अपने जीवनकाल में नमान्तरकरण को चुनौति नहीं दी, क्योंकि नामानतरकरण से सभी सहमत थे। इस प्रकार अपीलांट को अपील करने का हक नहीं है। अपील मियाद बाहर होने से खारिज की जावे।

दौराने बहस पैराकार सरकार ने बताया कि नामांतरकरण संख्या 62 दिनांक 05.06.1981 के संबंध में तहसीलदार मलसीसर द्वारा की गई कार्यवाही विधिसम्मत है। अपील मियाद बाहर है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। मिसल मातहत को देखा गया। बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से दोनों पक्षों की ओर से यह स्वीकृत तथ्य है कि – लादूराम की शादी नहीं हुई, वह अविवाहित फौत हुआ है। हस्तगत प्रकरण में देखना यह है कि क्या रेस्पोडेंट नंबर 1 प्यारेलाल लादूराम का दत्तक पुत्र था और लादूराम की मृत्यु के बाद उसके हिस्से

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनूं

की भूमि का अकेला वारिस दत्तक पुत्र होने के कारण प्राप्त करने का अधिकारी था। अपीलांट्स का कथन है कि लादूराम ने अपने जीवनकाल में किसी को गोद नहीं लिया। इसके विपरित विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट का कथन है कि प्यारेलाल को 8 वर्ष की उम्र में ही हिन्दू–रीति रिवाज के अनुसार प्यारेलाल के माता पिता की सहमति से लादूराम गोद में बैठाकर पूजा कर , गीत इत्यादि गाकर गोद लेना एवं देना स्वीकार किया था। दोनों की ओर मौखिक कथन किये गये है। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2071 दिनांक 24.9.2014 के अनुसार रेस्पोडेंट नंबर 1 प्यारेलाल पुत्र रामचन्द्र एवं प्यारेलाल पुत्र व लादू दोनों के हिस्से में खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। निर्वाचक नामावली विधानसभा चुनाव क्षेत्र ग्राम सिरियासर खुर्द के भाग संख्या–1 में कम संख्या 442 पर प्यारेलाल पिता का नाम रामचन्द्र आयु 59 वर्ष दर्ज है। झुंझुनू केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0 झुंझुनू की दिलोई ग्रामसेवा सहकारी समिति लि0 जहां से रेस्पोडेन्ट संख्या–1 द्वारा अल्पकालीन ऋण लिये जाने का उल्लेख है, उसमें भी रेस्पोडेन्ट नंबर–1 प्यारेलाल के पिता का नाम रामचंन्द्र अंकित है। उक्त सभी दस्तावेजात रेस्पोडेन्ट नंबर 1 के लादूराम का दत्तक पुत्र होने पर संदेह पैदा करते हैं । अगर रेस्पोडेंट नंबर 1 को 8 वर्ष की उम्र में ही लादू को गोद दे दिया गया था तो उसके बाद रिकार्ड में प्यारेलाल के नाम के आगे रामचन्द्र क्यों लिखा जा रहा है, इस संबंध में कोई रामचन्द्र के हिस्से की भूमि में भी रेस्पोडेंट नंबर–1 का हिस्सा आ रहा है । विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट नंबर 1 से 4 का कथन कि रेस्पोडेंट नंबर 1 लादु के 8 वर्ष की उम्र में ही गोद चला गया था और लादू के द्वारा ही उसका पालन–पोषण और विवाह किया जाना बताया है, लेकिन इस संबंध में किसी भी प्रकार की कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुई है। लादू के जीवनकाल में अगर रेस्पोडेंट को गोद लिया जाता तो किसी प्रकार की बही या अन्य पेपर पर लादु के हस्ताक्षरसुदा कोई लिखावट तो होती। दोनों पक्षों की ओर से यह स्वीकृत तथ्य रहा है कि लादूराम की शादी नहीं हुई और वह अविवाहित फौत हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार झुंझुनू के समक्ष न तो कोई गोदनामा प्रस्तुत हुआ ना ही कोई पटवारी या सरपंच इत्यादि की लादु के वारिसान के संबंध में कोई रिपोर्ट ली गई । अधीनस्थ न्यायालय को ऐसे विवादित नामांतरकरण को सभी वारिसान के संबंध में जांच कर नामान्तरकरण तस्दीक करना चाहिए था, जो उनके द्वारा नहीं किया गया । रेस्पोडेंट नंबर 1 का रिकार्ड आज भी उसके जाईन्दा पिता रामचन्द्र के नाम बना हुआ है तथा रेस्पोडेंट नंबर 1 के नाम अपने पिता स्व0 रामचन्द्र के देहान्त के पश्चात जमीन का नामान्तरकरण तस्दीक हुआ तथा अपने हिस्से की जमीन पर खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनू

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण आदेश तहसीलदार झुंझुनू नामांतरकरण संख्या–62 दिनांक 05.06.1981 वाके सरहद सिरियासर खुर्द निरस्त किया जाता है। पत्रावली तहसीलदार मलसीसर को इस आदेश के साथ प्रति प्रेषित की जाती है कि वादग्रस्त भूमि का स्वयं मौका निरीक्षण करते हुसे मृतक लादू के विधिक वारिसान की जांच कर उन्हें सुनवाई व साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुये नामान्तरकरण बाबत पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(एम0आर0 बागड़िया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 06.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम0आर0 बागड़िया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू